न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 105/2016/223 आर टी ए

1. पलवंती पत्नि स्व. पृथ्वीसिंह पुत्र सोहन लाल उम्र 55 वर्ष जाति बिश्नोई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुनील कुमार पुत्र स्व. पृथ्वीसिंह पुत्र सोहन लाल उम्र 30 वर्ष जाति बिश्नोई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. बिस्मती देवी पुत्री सोहनलाल पत्नि छोटूराम जाति बिश्नोई निवासी ऋषिनगर हिसार तहसील व जिला हिसार हरियाणा।
3. सन्तरो देवी पुत्री सोहनलाल पत्नि नरसिंह राम जाति बिश्नोई निवासी ऋषिनगर हिसार तहसील व जिला हिसार हरियाणा।
4. कृष्णादेवी पुत्री सोहनलाल पत्नि राजेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी रूपाणा बिश्नोईयान तहसील व जिला फतेहबाद हरियाणा।
5. चेतराम पुत्र कानाराम जाति बिश्नोई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (फौत)

5/1 महेन्द्रसिंह पुत्र चेतराम जाति बिश्नोई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

5/2 धर्मपाल पुत्र चेतराम जाति बिश्नोई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

5/3 पवनकुमार पुत्र चेतराम जाति बिश्नोई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

6. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार राजस्व भादरा।
7. औमप्रकाश पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
8. लिलावती पुत्री सोहनलाल पत्नि बालूराम जाति बिश्नोई निवासी ढाबीखुर्द तहसील व जिला फतेहबाद।

———असल रेस्पोडेंटस

9. विमला पुत्री पृथ्वीसिंह पत्नि गंगाराम जाति बिश्नोई निवासी सदलपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।
10. सरोज पुत्री पृथ्वीसिंह पत्नि रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी पारता तहसील टोहना जिला फतेहबाद हरियाणा।
11. सुमन पुत्री पृथ्वीसिंह पत्नि राजेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी ढाबी खुर्द तहसील व जिला फतेहबाद हरियाणा।
12. कमलेश पुत्री पृथ्वीसिंह पत्नि सुनीलकुमार जाति बिश्नोई निवासी नाढोडी तहसील व जिला फतेहबाद हरियाणा।
13. सुशीला पुत्री पृथ्वीसिंह पत्नि सतीशकुमार जाति बिश्नोई निवासी भूना ढाणी तहसील व जिला फतेहबाद हरियाणा।

——तरतीबी रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2015 व संशोधित आदेश दिनांक 08.02.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा प्रकरण सं. 66/2013 अनवानी पृथ्वीसिंह आदि बनाम राजेन्द्र आदि

उपस्थित :–

श्री विनोद कुमार मंडा अधिवक्ता अपीलांटस

श्री प्रदीप भाटी अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 5/1 से 5/2

श्री वरिन्द्र कुमार गुप्ता अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 7 ता 13

श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 6

निर्णय दिनांकः–24.11.2017

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट सं. 1 पति व अपीलांट सं. 2 के पिता पृथ्वीसिंह व रेस्पो0 7 व 8 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश किया, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादीगण डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील एवं लिखित बहस मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधी निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांतो के विपरीत तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान

किये बिना पारित किया गया है। विभाजन के वाद मे सभी पक्षकारान के हित समान होते है। दौराने दावा अपीलांटा सं. 1 के पति व अपीलांट सं. 2 के पिता पृथ्वीसिंह जो इस वाद मे वादी सं. 1 के रूप मे पक्षकार थे उनका देहान्त दिनांक 20.02.2015 को हो चुका था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 व अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2015 मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया होने से नल्टि है। इसके अलावा प्रतिवादी सं. 5 चेतराम भी दावा दायरी से पहले ही फौत हो चुका था। मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय व डिक्री व संशोधित निर्णय पारित होने के कारण नल्टि है व अपास्त योग्य है। चक 2 सीएचएन के मु.न. 56 कि.न. 22 मे अपीलांट की ढाणी बनी हुई है जबकि अभिकथित विभाजन व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे उक्त भूमि पर कब्जा सन्तरो वगैरा का होना दर्शाया गया है व विभाजन मे उक्त किला सन्तरो वगैरा को दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार भादरा को मौका कमीश्नर नियुक्त कर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। लेकिन तहसीलदार भादरा द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 ता 21 की पालना नही की गई। तहसीलदार द्वारा न तो पक्षकारो को सूचना दी गई व न ही पक्षकारान की उपस्थिति मे स्वयं द्वारा मौका देखा गया। अगर तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 ता 21 की पालना नही की गई तो मामला प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है। धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे सभी पक्षकार सामान होते है व सभी पक्षकारो की स्थिति वादी की होती है। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित निर्णय की अपील के लिए कोई मियाद नही है। अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना पारित किया गया है। फिर भी अपीलांट द्वारा ज्ञान मे उक्त अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की है व अपील प्रस्तुत होने देरी को माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे सीसीसी 2005 (3) (सुप्रीमकोर्ट) पेज 462, आरआरडी 1992 पेज 634, एआईआर 2001 (केरला) पेज 314, आरआरडी 2009 पेज 210, आरएलडब्ल्यू 1989(1) पेज 310, आरआरडी 2009 पेज 378, आरआरडी 2010 पेज 8, आरआरटी 2015(2) पेज 817, आरआरडी 1988 पेज 661, सीसीसी 2005(2) पेज 268, आरआरडी 2009 पेज 195 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील

अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एवं संशोधित निर्णय अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में लिखित बहस मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलांट सं. 1 के पति व अपीलांट सं. 2 के पिता पृथ्वीसिंह ने दावा सं0 66/2013 पेश किया था जिसकी पूर्ण जानकारी अपीलांटस को थी। अपीलांटस ने मिथ्या कथन अंकित कर समय सीमा से बाहर उक्त अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन दावा मे पूर्ण कानूनी प्रक्रिया अपना कर विधि सम्मत निर्णय व डिक्री पारित की है। विधि सम्मत होने से बहाल रहने योग्य है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के योग्य ऑफिसर एवं कार्मिक पटवारी हल्का से प्रश्नगत भूमि पर मौका पर पक्षकारो की काश्त एवं कब्जा अनुसार मौका रिपोर्ट एवं कब्जा का नक्शा मंगवा कर एवं किसी पक्षकार की आपत्ति ना होने पर उक्त वादपत्र निर्णित कर डिक्री किया है और उक्त निर्णय व डिक्री की पालना भी पक्षकारो के मध्य हो चुकी थी एवं पक्षकारो के मध्य प्रश्नगत भूमि के लिए आपसी कोई विवाद नही है ओर न ही विवाद था। सभी पक्षकारो की आपसी सहमति हो चुकी थी। उसके बाद पक्षकारो ने अपने अपने कब्जा मे आई भूमि खर्चा कर कराहा आदि लगाकर उक्त भूमि पर काश्त करने लगे व अपने अपने हिस्सा मे आई भूमि पर आवासीय ढाणीया आदि का निर्माण करवा कर बिजली पानी कनेक्सन लेकर निवास करने लगे है। इसलिए उक्त भूमि का पुनः विभाजन का कोई सवाल ही उत्पन्न नही होता है। अगर उक्त डिक्री व आदेश दिनांक 12.12.2015 व संशोधित आदेश दिनांक 08.02.2016 को अपास्त किया जाता है तो पक्षकारो के मध्य आपसी विवाद बढेंगे व मुकदमे बाजी होगी जिससे पक्षकारो को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अगर अपील समय सीमा मे प्रस्तुत होती तो पक्षकारो को किसी प्रकार का नुकसान नही होता। जबकि अपीलांटस ने अपील सं0 105/2016 मियाद बाहर पेश की है जो विचारण योग्य नही है। अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री व संशोधित निर्णय यथावत रखा जावें।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससमान अध्ययन किया गया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट

अंदर मियाद शुमार की जाती है। अपीलांट के कथनानुसार दौराने दावा अपीलांटा सं. 1 के पति व अपीलांट सं. 2 के पिता पृथ्वीसिंह जो इस वाद मे वादी सं. 1 के रूप मे पक्षकार थे उनका देहान्त दिनांक 20.02.2015 को हो चुका था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 व अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2015 मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया होने से नल्टि है। इसके अलावा प्रतिवादी सं. 5 चेतराम भी दावा दायरी से पहले ही फौत हो चुका था। मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय व डिक्री व संशोधित निर्णय पारित होने के कारण नल्टि है व अपास्त योग्य है। चक 2 सीएचएन के मु.न. 56 कि.न. 22 मे अपीलांट की ढाणी बनी हुई है जबकि अभिकथित विभाजन व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे उक्त भूमि पर कब्जा सन्तरो वगैरा का होना दर्शाया गया है व विभाजन मे उक्त किला सन्तरो वगैरा को दिया गया है। इसलिये एक मृत पक्षकार के वारिसान को आवश्यक पक्षकार के रूप मे संयोजित किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक पारित किया गया है जिससे विचारण न्यायालय ने आवश्यक पक्षकारान को विधिवत सुनवाई हेतु न तो कोई नोटिस जारी किया है तथा ना ही विभाजन प्रस्ताव बाबत पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया है एवं अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत पारित किया गया है। चूंकि अपीलाधीन वाद के पक्षकार वादी सं. 1 जिसकी मृत्यु दिनांक 20.02.2015 को हो चुकी थी जिसके जायज वारिसान को वाद बतौर पक्षकार संयोजित किये बिना ही अपीलाधीन प्रकरण मे बिना प्रभावित पक्षकारो को सुने तथा बिना विधिवत तामील करवाये विभाजन का दावा डिक्री किया गया है। जिससे विचारण न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई है और दावा एक मृत पक्षकार के विरूद्ध पारित किया गया है। जबकि विभाजन के वाद मे समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2015 व

संशोधित आदेश दिनांक 08.02.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार के रूप मे संयोजित करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 20.12.2017 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ